

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 17/1420।

दिनांक:- 20.6.17

—: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कहां से	कहां को
1	श्री सवाई सिंह भाटी	कनिष्ठ लिपिक	कुम्हेर (स्थानान्तरणधीन)	किशनगढ़ रेनवाल
2	श्री अमीलाल	फायरमैन	नीमकाथाना	खेतडी
3	श्री सुमित चरपोटा	फायरमैन	बांसवाडा	कुशलगढ़
4	श्री अशफाक अहमद	फायरमैन	सवाई माधोपुर	कोटा
5	निशा शर्मा	फायरमैन	बांरा	कोटा
6	श्री प्रेम बिहारी नागर	फायरमैन	देवली	कोटा
7	श्री शिवजीराम मीणा	फायरमैन	देवगढ़ (राजसमन्द)	जहाजपुर
8	श्रीमती जकिया आरा देशवाली	फायरमैन	भीलवाडा	जहाजपुर
9	श्री कैलाश चन्द सालवी	फायरमैन	जहाजपुर	भीलवाडा
10	श्री भानुप्रताप सिंह	फायरमैन	छबडा	झालावाड़
11	श्री बृजेन्द्र सिंह मीणा	फायरमैन	जयपुर	खेडली
12	श्री निहाल सिंह मीणा	फायरमैन	उदयपुर	भरतपुर
13	श्री अविनेश दुबे	फायरमैन	सिरोही	चाकसू
14	श्री अब्दुल वहीद	फायरमैन	अजमेर	कोटा
15	श्री चम्पालाल भाट	फायरमैन	रानीखुर्द	आबूपर्वत

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी / संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त / किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 17/14202-14203 दिनांक:- 20.6.17
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क.प.ज.

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षौ०) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/भरतपुर।
4. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/पालिका.....

..... |

5. श्री..... पद..... नगर पालिका..... |

6. सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)